रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 1984/आषाढ़ 21, 1906
No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1984/ASADHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1981

का० आ० 501 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 15 (अ) तारीख 8 जनवरी, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में, क्रम सं 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
"6	बेंजोकेन	187.00"

[सं० 8 (3)/84-डी II]
ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delh , the 9th July, 1984

S.O. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 15(E), dated the 8th January, 1981 namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"6.	Benzocaine	187.00 ".

[No. 8(3)/84-D. II]
E.N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984